

## मध्यावधिक राजकोषीय नीति विवरण

### क. राजकोषीय संकेतक - सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में चल लक्ष्य

(वर्तमान बाजार मूल्यों पर)

	संशोधित अनुमान	बजट अनुमान	के लिए लक्ष्य	
	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
1. राजस्व घाटा	2.0	1.5	0.0	0.0
2. राजकोषीय घाटा	3.7	3.3	3.0	3.0
3. सकल कर राजस्व	11.4	11.8	12.3	12.7
4. वर्ष के अंत में कुल बकाया देनदारियां	64.4	61.4	58.6	56.0

टिप्पणी:—

1. "स.घ.उ." चालू बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद है।
2. "कुल बकाया देनदारियों" में वर्तमान विनिमय दर पर विदेशी सरकारी ऋण शामिल है। अनुमानों के लिए स्थिर विनिमय दरें मानी गई हैं।

1. घरेलू खपत की मांग और बढ़ते हुए निवेश की मजबूती पर, वर्तमान आर्थिक गतिशीलता, केन्द्र सरकार द्वारा अमल में लाई जा रही सुसंगत राजकोषीय समेकन की नीतियों के संयोजन से, विशेषकर राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 के प्रवर्तन में आने के बाद की अवधि के दौरान, आर्थिक वृद्धि का एक सुचक्र सिद्ध हो रही है। केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (सीएसओ) के त्वरित अनुमानों के अनुसार, वार्षिक वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि 2005-06 में 9.0 प्रतिशत तथा 2006-07 में 9.2 प्रतिशत (सीएसओ के अग्रिम अनुमान) होने से अर्थव्यवस्था उच्च वृद्धि के चरण में पहुंच चुकी प्रतीत होती है। वृद्धि के इस मार्ग पर चलते रहना और एफआरबीएम लक्ष्यों को साकार करना वर्तमान वृद्धि की गतिशीलता में तेजी लाने और उसे बनाए रखने तथा निवेश के लिए संसाधनों के सृजन और भौतिक व सामाजिक आधारभूत ढांचे के तेजी से विकास के लिए निर्णायक सिद्ध हुए हैं। राज्य सरकारों को राजकोषीय समेकन के पथ पर चलते रहने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु एक सामर्थ्यकारी वातावरण का सृजन करने की जिम्मेदारी जो वृहद आर्थिक स्थिरता के दूरगामी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है-भी केन्द्र सरकार की मध्यावधिक राजकोषीय नीति में अन्तर्निहित है।

2. मध्यावधिक राजकोषीय अनुमान 2005-06 के बजट में 2006-07 से राजकोषीय सुधार की प्रक्रिया को पुनःआरम्भ करने और 2008-09 तक एफआरबीएम लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रतिबद्धता के अनुरूप हैं। राजस्व में वृद्धि तथा व्यय के बेहतर प्रबंधन और प्राथमिकताएं फिर से तय करने के फलस्वरूप, घाटा लक्ष्यों के सम्बन्ध में 2006-07 में निष्पादन संतोषजनक है। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन नियमों में राजकोषीय घाटे में कम से कम 0.3 प्रतिशतांक और राजस्व घाटे में 0.5 प्रतिशतांक की वार्षिक कटौती परिकल्पित है। बजट अनुमान 2006-07 में, सरकार ने राजस्व घाटा स.घ.उ. के 2.1 प्रतिशत अर्थात् ब.अ. 2005-06 की तुलना में, 0.5 प्रतिशतांक कम होने का अनुमान व्यक्त किया था। राजस्व घाटा अनुमानों ने सं.अ. 2006-07 में स.घ.उ. के 2.0 प्रतिशत का सुधार दर्शाया है। इसी प्रकार, राजकोषीय घाटा, जिसके ब.अ. 2005-06 में स.घ.उ. के 4.3 प्रतिशत से घट कर, ब.अ. 2006-07 में स.घ.उ. के 3.8 प्रतिशत होने का आकलन किया गया था, में और सुधार होकर सं.अ. 2006-07 में स.घ.उ. का 3.7 प्रतिशत हो गया है। यह सुधार उच्च आर्थिक वृद्धि, बढ़े हुए राजस्व तथा विवेकसम्मत व्यय प्रबंधन पद्धतियों के चलते संभव हुआ है।

3. वर्ष 2007-08 के लिए राजकोषीय लक्ष्य राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम के अधिदेश के अनुरूप निर्धारित हैं, इस कानून में केन्द्र सरकार को 31 मार्च, 2009 तक राजस्व घाटा समाप्त करने और राजकोषीय घाटा स.घ.उ. के 3 प्रतिशत से कम करने का अधिदेश है। तदनुसार, 2007-08, 2008-09 और 2009-10 में माध्यावधिक राजकोषीय लक्ष्य एक तरफ विधायी अधिदेश तथा दूसरी तरफ परिमाणात्मक संदर्भ में लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए, समायोजन की गुणवत्ता पर ध्यान देते हुए सतत वृद्धि की आशावादिता तथा निरन्तर राजकोषीय सुधार को अमल में लाने की प्रतिद्धता को परिलक्षित करते हैं। इस उद्देश्य हेतु अमल में लाई जा रही कार्यनीति अनिवार्य रूप से राजस्व अभिप्रेरित है जिसमें परिणामों तथा सार्वजनिक व्यय की आवंटनात्मक क्षमताओं में सुधार लाने पर ध्यान केन्द्रीत किया गया है।

4. केन्द्र सरकार का सकल कर-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात के सं.अ. 2006-07 में 11.4 प्रतिशत से ब.अ. 2007-08 में 11.8 प्रतिशत तक बढ़ने का अनुमान है, जिसमें कर राजस्व के 17 प्रतिशत से अधिक बढ़ने की संभावना है। कर प्राप्तियों में ऐसी वृद्धि जहां प्रभावशाली है, वहीं साथ-साथ यह परिनिर्धारण हेतु एक वृहत्तर आधार तैयार करती है और इस प्रकार, प्रत्येक अनुवर्ती वर्ष में कुल कर राजस्व के संदर्भ में 'निष्पादन मानक' में वृद्धि करती है। कर राजस्व में यह वृद्धि बनाए रखने के लिए अधिकाधिक सक्षम, उदार और सम्यक कर प्रणाली की आवश्यकता है। उपयुक्त कर दरों के संदर्भ में संतुलित कर संरचना, कम से कम छूटें और अधिक व्यापक कराधार इस संबंध में महत्वपूर्ण नीतिगत साधन हैं। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में आयोजना-भिन्न व्यय के तुलनात्मक आंकड़े घट कर 6.5 प्रतिशत हो गए हैं, जबकि आयोजना व्यय, बढ़कर 2007-08 में 4.4 प्रतिशत हो गया है।

5. वर्ष 2007-08 का बजट ऊपर वर्णित नीतिगत ढांचे के भीतर तैयार किया गया है।

## ख. राजकोषीय संकेतकों की आधारभूत मान्यताएं

### 1. राजस्व प्राप्तियां

#### (क) कर-राजस्व

6. वर्ष के दौरान कर संगेहणों में बजट 2006-07 में अनुमान की अपेक्षा अधिक तेजी दिखाई दी है। ब.अ. 2006-07 में अनुमानित कर में वृद्धि दर ब.अ. 2005-06 में की अपेक्षा 19.5 प्रतिशत अनुमानित था। इसी आधार पर, संशोधित अनुमान 2006-07 में इसमें और संशोधन करके 26.4 प्रतिशत तक बढ़ाया गया है। इसके परिणामस्वरूप, सं.अ. 2006-07 में सकल कर राजस्व के मद में संशोधित कर प्राप्तियां, व्यय में समायोजन के बाद राज्यों का हिस्सा और केन्द्र का निवल कर राजस्व क्रमशः 4,67,848 करोड़ रुपए, 1,20,377 करोड़ रुपए और 3,45,971 करोड़ रुपए पर स्थिर रखे गए हैं।

7. कर स.घ.उ. अनुपात व.अ. 2007-08 में 11.8 प्रतिशत तक बढ़ना निर्धारित है, जबकि स.अ. 2006-07 में यह 11.4 प्रतिशत है। तदनुसार, सकल कर राजस्व, व्यय की एवज में समायोजन के बाद राज्यों का हिस्सा और केन्द्र का निवल कर राजस्व क्रमशः 5,48,122 करोड़ रुपए, 1,42,450 करोड़ रुपए तथा 4,03,872 करोड़ रुपए रखा गया है, जो 17.16 प्रतिशत, 18.34 प्रतिशत तथा 16.74 प्रतिशत की तदनुसारी विकास दर को प्रदर्शित करता है। जहां एक ओर कर प्राप्तियों में पर्याप्त वृद्धि, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के व्यय की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बेहतर राजकोषीय सम्भावना का निर्माण करती है, वहीं इस बात का जोखिम भी है कि व्यय में महत्वाकांक्षी विस्तार राजकोषीय सुदृढ़ता की प्रगति में अवांछित दबाव डालेगा।

8. सारणी में पैराग्राफ 'क' में दर्शित राजकोषीय संकेतकों में विकास की प्रवृत्ति को देखते हुए, वर्ष 2008-09 और 2009-10 की तुलना में 17 प्रतिशत की वार्षिक सकल कर राजस्व वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। कुल बकाया देयताओं में स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में घटने का अनुमान है। बकाया देयताओं में बढ़ोत्तरी वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 में 3 प्रतिशत के सकल राजकोषीय घाटे के बने रहने के कारण अनुमानित है। इसी अवधि के दौरान, निवल लघु बचत संग्रहणों के 10 प्रतिशत तक बढ़ने का अनुमान है। विनिमय दर में अनुमानों की स्वभाविकता की वजह से अपरिवर्तित रहने का अनुमान है।

### (ख) कर-भिन्न राजस्व

9. कर-भिन्न राजस्व (एनटीआर) व.अ. 2007-08 में 82,550 करोड़ रुपए तक बढ़ना निर्धारित है, जबकि व.अ. 2006-07 में यह 76,260 करोड़ रुपए है। इस प्रकार, यह 8.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करता है। व.अ. 2007-08 में लाभांश तथा लाभों से प्राप्तियां व.अ. 2006-07 में 27,500 करोड़ रुपए की तुलना में, 33,925 करोड़ रुपए होंगी। ये प्राप्तियां एनटीआर की सबसे बड़ी संघटक होती हैं। केन्द्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) के बेहतर निष्पादन से उच्चतर प्रतिफल की आशा है। वित्तीय संस्थाओं से अन्तरणों और सीपीएसयू से विद्युत, दूर संचार तथा पेट्रोलियम क्षेत्रों में प्राप्त लाभांश से भी इस अवधि के दौरान बढ़ोतरी की आशा है। ब्याज प्राप्तियां भी व.अ. 2007-08 में 23.4 प्रतिशत पर एनटीआर का एक महत्वपूर्ण संघटक है। तथापि, ब्याज प्राप्तियों की मध्यावधि में गिरावट की सम्भावना मुख्यतः बारहवें वित्त आयोग की विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अन्तर्गत ऋणों को छोड़कर राज्यों को प्रदान किए जा रहे ऋणों के सम्बन्ध में भी की गयी सिफारिश पर वित्तीय मध्यस्थता से केन्द्र के पृथक रहने की वजह से बनी है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि निम्नलिखित कारक ब्याज प्राप्तियों में गिरावट की प्रवृत्ति हेतु उत्तरदायी बने रहे: (i) ऋणों पर घटाई गयी ऋण दरें; (ii) ऋण अदला-बदली योजना जिसकी वजह से राज्य सरकार केन्द्र सरकार के महंगे ऋणों का पूर्व भुगतान करने में सक्षम हुए; (iii) राज्य सरकारों के ऋण की प्रोत्साहन युक्त पुनर्संरचना जो राजकोषीय दायित्व विधान को अधिनियमित करती है; (iv) सीपीएसयू द्वारा ऋणों की पूर्व अदायगी जिन्होंने पहले सुलभ ब्याज दर व्यवस्था का फायदा उठाया। एनटीआर के अन्य स्रोतों में वृद्धि उस मात्रा में होने की सम्भावना नहीं है जो उक्त वर्णित कारकों को प्रतिसंतुलित करने हेतु पर्याप्त हो। इसलिए, एनटीआर जो व.अ. 2005-06 में स.घ.उ. का 2.23 प्रतिशत है, उसके व.अ. 2006-07 में स.घ.उ. के 1.93 प्रतिशत तक घटने का अनुमान है। व.अ. 2007-08 में, इसी के और घटकर स.घ.उ. के 1.78 प्रतिशत तक होना निर्धारित है। मध्यवधि में, एनटीआर के निरपेक्ष रूप में मामूली सुधार होने की आशा है, लेकिन यह स.घ.उ. के अनुपात के रूप में निरन्तर गिरावट की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है।

### (ग) राज्यों को अन्तरण

10. राजकोषीय सुधारों को बढ़ावा देने के प्रोत्साहन सहित बारहवें वित्त आयोग (टीएफसी) के निर्णय राज्य सरकारों को कराधान सुधारों तथा व्यय प्रबन्धन के साथ त्वरित रूप में राजकोषीय सुधार करने के लिए सक्षम बना रहे हैं। हाल ही में, सुलभ ब्याज दर व्यवस्था से राज्य सरकारों को भी फायदा पहुंचा है। फरवरी, 2007 के मध्य तक, पच्चीस राज्यों ने अपने एफआरबीएम कानून बनाए हैं। जहां तक करों के वहन करने का सम्बन्ध है, सकल कर राजस्व का 30.5 प्रतिशत केन्द्रीय करों/शुल्कों से आता है। इसमें बिक्री कर की एवज में चीनी, तम्बाकू तथा कपड़ों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क भी शामिल है, लेकिन इसमें ग्यारहवें वित्त आयोग के निर्णयानुसार 29.5 प्रतिशत की तुलना में राज्यों को उपकरणों, अधिभारों तथा कर संग्रहण का लागत अंतरण शामिल नहीं है। टीएफसी ने यह भी सिफारिश की कि यदि बिक्री कर की एवज में अतिरिक्त शुल्कों के सम्बन्ध में किराया प्रबन्ध को समाप्त किया जाता है तथा राज्यों को इन वस्तुओं पर बिना किसी सीमा निर्धारण के बिक्री कर (अथवा वेट) लगाने की अनुमति दी जाती है, वहनीय केन्द्रीय करों की निवल प्राप्तियों में राज्यों का भाग घटाकर 29.5 प्रतिशत किया जाएगा। करों तथा शुल्कों में राज्यों का हिस्सा व.अ. 2006-07 में बढ़कर 1,20,377 करोड़ रुपए हो गया और इसमें व.अ. 2007-08 में और बढ़ोतरी होकर 1,42,450 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जो व.अ. 2006-07 की तुलना में 25.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी दिखाते हुए 1,13,448 करोड़ रुपए हो गया।

## 2. पूंजी प्राप्तियां

### (क) ऋणों की वसूली

11. पूर्व में प्रदत्त ऋणों की तुलना में प्राप्तियों की अदायगी में केन्द्र सरकार द्वारा धीरे-धीरे अपने को पृथक कर लेने के कारण आने वाले समय में गिरावट होने का अनुमान है। राज्य सरकारों तथा केन्द्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) को सीधे ही बाजार से उधार लेने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। इसके अलावा, राज्य सरकारों को वर्ष 2004-05 के अन्त में पिछले तीन वर्षों से 1,03,652 करोड़ रुपए की राशि के महंगे ऋणों की पूर्व अदायगी करने की अनुमति दी गयी है। केन्द्र सरकार के ऋणों के सम्बन्ध में, टीएफसी का निर्णय राज्य सरकारों को ऋण समेकन तथा उन्हें माफ करने के रूप में राहत प्रदान करना है, बशर्ते कि राज्य राजकोषीय

उत्तरदायित्व विधान बनाए तथा उसमें विनिर्दिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति करें। इन उपायों का ऋण स्टॉक को घटाने पर प्रभाव पड़ा है। इसलिए ऋणों की वसूली ब.अ. 2006-07 में 8,000 करोड़ रुपए से घटकर स.अ. 2006-07 में 5,450 करोड़ रुपए और पुनः ब.अ. 2007-08 में घटकर 1,500 करोड़ रुपए हो गयी।

**(ख) अन्य ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियां**

12. वर्ष 2007-08 के बजट अनुमान में 41,651 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें 40,000 करोड़ रुपए भारतीय स्टेट बैंक में अपनी पणधारिता के सरकार को अंतरण के परिणामस्वरूप भारतीय रिजर्व बैंक से पूर्वानुमानित एक बारगी प्राप्ति है। शेष 1,651 करोड़ रुपए की राशि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन में इक्विटी की बिक्री आय से प्राप्तिओं के कारण है। इन प्राप्तिओं के अंतरण के लिए भारत की संचित निधि से अलग राष्ट्रीय निवेश निधि का प्रावधान किया जा रहा है और राष्ट्रीय निवेश निधि के कार्पस खाली किए बगैर निरंतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए यह चुने हुए सरकारी क्षेत्र के म्यूचुअल फंड द्वारा व्यावसायिक रूप से प्रबंधित होगी।

**(ग) उधार-सरकारी ऋण और अन्य देनदारियां**

13. केन्द्र सरकार के कुल व्यय और कुल ऋण-भिन्न प्राप्तिओं के बीच शामिल न किए गए अंतर को पूरा करने के लिए उधार का सहारा लेना पड़ता है। अपने राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण हेतु उधार लेने की केन्द्र सरकार की नीति विदेशी ऋण की तुलना में घरेलू बाजार उधारों पर ज्यादा निर्भर रहती है। इसलिए सरकार अपने घाटे के बड़े भाग का वित्तपोषण बाजार निर्धारित ब्याज दरों पर जुटाए गए संसाधनों के माध्यम से करती है। केन्द्र सरकार ऋण की रखाव लागत को कम करने और अपने ऋण/देनदारी पोर्टफोलियो को पूरा कर रही है। एफआरबीएम अधिनियम के अंतर्गत यथानिर्धारित राजकोषीय औचित्य की नीति के साथ ऋण पुनर्संरचना के उपाय से समग्र सरकारी ऋण भार कम होने की संभावना है।

14. कुछ लेनदेन, उनके खाते में मानी गई ब्याज देनदारियों की सीमा के सिवाय, सरकार के राजकोषीय घाटे से संबंधित नहीं होते हैं। इनमें राज्य सरकारों को अंतरित और राज्य सरकारों द्वारा शोधित परन्तु केन्द्र सरकार द्वारा अप्रयुक्त लघु बचत संचयन, भारतीय खाद्य निगम और तेल विपणन कंपनियों को जारी विशेष प्रतिभूतियां और बाजार में अधिक नकदी से निपटने में भारतीय रिजर्व बैंक की सहायता करने के लिए बाजार स्थिरीकरण योजना के अंतर्गत जुटाये गए उधार शामिल हैं। बाजार स्थिरीकरण योजना की प्राप्तिओं को भारतीय रिजर्व बैंक के पास एक पृथक खाते में रखा जाता है और ये खर्च के लिए भारत सरकार को उपलब्ध नहीं होती हैं।

**3. कुल व्यय**

**(क) राजस्व खाता**

*आयोजना राजस्व व्यय*

15. आयोजना राजस्व व्यय 2006-07 के बजट अनुमान में 1,43,762 करोड़ रुपए से 21.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए बढ़कर 2007-08 के बजट अनुमान में 1,74,354 करोड़ रुपए हो गया। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में इसी अवधि में यह मामूली रूप से बढ़कर 3.6 प्रतिशत से 3.8 प्रतिशत हो गया। यह वृद्धि मुख्यतः सामाजिक क्षेत्र, विशेषतया स्कूली शिक्षा, महिला और बाल विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण (राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन), ग्रामीण रोजगार, एकीकृत बाल विकास योजना, कृषि, परती भूमि विकास, पेय जल और सड़कों सहित भौतिक अवसंरचना में वृद्धित बजटीय आवंटनों के कारण हुई है। राज्यों और संघ राज्यों क्षेत्रों को कुल आयोजना अनुदान 2006-07 के बजट अनुमान में 50,913 करोड़ रुपए से 28 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित करते हुए 2007-08 में 65,027 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

*आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय*

16. आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय 2006-07 के बजट अनुमान में 3,44,430 करोड़ रुपए से बढ़कर 2007-08 के बजट अनुमान में 3,83,546 करोड़ रुपए अर्थात् 11.3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की बजटीय व्यवस्था की गई है। आयोजना-भिन्न व्यय की पांच मुख्य मदों का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

*(i) ब्याज अदायगियां*

17. ब्याज अदायगियों पर व्यय 2006-07 के बजट अनुमान में 1,39,823 करोड़ रुपए से बढ़कर 2007-08 के बजट अनुमान में 1,58,995 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। यह वृद्धि 13.7 प्रतिशत है। यह मुख्यतः बकाया ऋण स्टॉक में वृद्धि, अन्य बातों के अलावा, पुनर्निगमित दिनांकित प्रतिभूतियों पर प्राप्त कम ब्याज के परिणामस्वरूप ब्याज दरों में वृद्धि और तेल विपणन कंपनियों तथा भारतीय खाद्य निगम को जारी विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज भुगतान हेतु प्रावधान के कारण है। इसमें सक्रिय ऋण समेकन जिससे ऋण की रखाव लागत कम होने की संभावना है, संबंधी प्रीमियम के भुगतान के लिए 2500 करोड़ रुपए का प्रावधान भी शामिल है। ऐसी वृद्धि के बावजूद, केंद्र सरकार की निवल राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज अदायगियों पर व्यय मध्यावधि में राजकोषीय समेकन को सुदृढ़ करने की क्षमता के साथ अल्पावधि में वृद्धित राजकोषीय लोचशीलता का लाभ देते हुए 2006-07 के बजट अनुमान में 34.6 प्रतिशत से गिरकर 2007-08 के बजट अनुमान में 32.7 प्रतिशत होने का अनुमान है।

*(ii) रक्षा सेवाएं*

18. कुल रक्षा सेवा व्यय का बजट प्रावधान, बजट अनुमान 2006-07 में 89,000 करोड़ रुपए से बढ़कर बजट अनुमान 2007-08 में 96,000 करोड़ रुपए करने का है। वर्ष 2007-08 के लिए बजट आवंटन में, बजट अनुमान 2006-07 में 51,542 करोड़ रुपए की तुलना में, 54,078 करोड़ का राजस्व व्यय संघटक शामिल है, जबकि बजट अनुमान 2007-08 में रक्षा के लिए पूंजी परिव्यय, बजट अनुमान 2006-07 में 37,458 करोड़ रुपए की तुलना में, 41,922 करोड़ रुपए है। यह बढ़ा हुआ प्रावधान वेतन भत्तों, रखरखाव के खर्च एवं आधुनिकीकरण की योजनाओं में सामान्य वृद्धि की वजह से है।

*(iii) मुख्य सस्सिडियां*

19. मुख्य सस्सिडियों के लिए आवंटन, उर्वरक, खाद्य और पेट्रोलियम उत्पादों पर, बजट अनुमान 2006-07 में 44,533 करोड़ रुपए से बढ़कर बजट अनुमान 2007-08 में 50,987 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जिससे 14.5 प्रतिशत की वृद्धि होगी। यद्यपि उर्वरक सस्सिडी की बजट व्यवस्था 30.1 प्रतिशत की वृद्धि की है, पेट्रोलियम पर सस्सिडी बजट अनुमान 2006-07 में 3,080 करोड़ रुपए से मामूली गिरकर बजट अनुमान 2007-08 में 2,840 करोड़ रुपए होने की व्यवस्था की गई है। तथापि, इन सस्सिडियों में तेल विपणन कम्पनियों को जारी विशेष प्रतिभूतियां शामिल नहीं हैं।

*(iv) राज्यों को आयोजना-भिन्न अनुदान*

20. बजट अनुमान 2007-08 में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए आयोजना-भिन्न अनुदान बजट अनुमान 2006-07 में 35,361 करोड़ रुपए की तुलना में 38,403 करोड़ रुपए रखा गया है। यह 8.6 प्रतिशत की वृद्धि का सूचक है। इन अनुदानों का मुख्य संघटक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वैट के क्रियान्वयन और केन्द्रीय बिक्री कर (सीएसटी) समाप्त करने के प्रस्तावित क्रियान्वयन से हुई हानियों की प्रतिपूर्ति करने की केन्द्रीय सरकार की वचनबद्धता पूरी करना है। इस प्रयोजन के लिए बजट अनुमान 2006-2007 में 3,000 करोड़ रुपए की तुलना में बजट अनुमान 2007-2008 में 5,495 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

*(v) अन्य*

21. वेतन, पेंशन, पुलिस जैसे राजस्व व्यय की अन्य मुख्य मदें और अन्य प्रशासनिक व्यय में वृद्धि दर सामान्य रहने की आशा है। इन मदों के संबंध में व्यय को कम करना विवेकपूर्ण राजकोषीय नीति का अभिन्न-संघटक है।

**(ख) पूंजी खाता****(i) ऋण तथा अग्रिम**

22. राज्य सरकारों को दिए जाने वाले ऋण और अग्रिम केन्द्र सरकार द्वारा पहले प्रदान किए गए ऋणों और अग्रिमों के मुख्य संघटक थे। राज्य सरकारों को ऋण के संबंध में, बारहवें वित्त आयोग ने केन्द्र सरकार द्वारा मध्यस्थता न करने अपितु राजकोषीय रूप से कमजोर राज्यों को, जो प्रत्यक्ष रूप से संसाधन जुटाने में असमर्थ हैं उन्हें सहायता करने की अनुशंसा की थी। सरकार ने अनुशंसाएं मान ली हैं। घरेलू ऋणों को मध्यस्थता नहीं की गई है और राज्य अब प्रत्यक्ष रूप से ऋण जुटा रहे हैं। विदेशी ऋणों का केन्द्र सरकार के माध्यम से प्राप्त किया जाना जारी है। निवेश के लिए बजटीय सहायता, पुनर्गठन/पुनरुद्धार और स्वैच्छिक सेवानिवृत्त योजना/स्वैच्छिक पृथक्कीकरण योजना सहित विभिन्न प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को आयोजना-भिन्न ऋण भी प्रदान किए जा रहे हैं।

**(ii) पूंजी परिव्यय**

23. कुल पूंजी व्यय को बजट अनुमान 2006-2007 में 75,799 करोड़ रुपए से बढ़ाकर बजट अनुमान 2007-08 में 1,22,621 करोड़ रुपए किया जाना है जो 9 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर्शाता है (भारतीय स्टेट बैंक, भारत सरकार को अपनी धारिता अंतरण करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को भुगतान करने के निमित्त 40,000 करोड़ रुपए का समायोजन करने के पश्चात)। आयोजना-भिन्न पूंजी व्यय 91,875 करोड़ रुपए है। रक्षा सेवाओं के संबंध में इस पूंजीगत परिव्यय का 41,922 करोड़ रुपए का सबसे बड़ा संघटक है। अन्य आयोजना-भिन्न पूंजी व्यय भारतीय स्टेट बैंक में भारतीय रिजर्व बैंक की धारिता की प्राप्ति के लिए 40,000 करोड़ रुपए के प्रावधान को छोड़कर 9,953 करोड़ रुपए बैठता है।

24. आयोजना पूंजी व्यय बजट अनुमान 2006-07 में 28,965 करोड़ रुपए से बढ़कर 30,746 करोड़ रुपए हो गया है, जो लगभग 6.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। बजट अनुमान 2007-08 में आयोजना परिव्यय का हिस्सा, बजट अनुमान 2006-2007 में 1,72,728 करोड़ रुपए की सकल बजटीय सहायता के 16.8 प्रतिशत की तुलना में 2,05,100 करोड़ रुपए की सकल बजटीय सहायता का लगभग 15 प्रतिशत है। राज्य सरकारों के लिए घरेलू ऋणों को समाप्त करने का आयोजना व्यय में, पूंजी परिव्यय में इस गिरावट का कारण रहा है। यदि इसे सकल घरेलू उत्पाद के परिपेक्ष्य में देखा जाए तो आयोजना पूंजी व्यय, जो बजट अनुमान 2006-07 में सकल घरेलू उत्पाद का 0.73 प्रतिशत था वह 2007-08 में गिरकर सकल घरेलू उत्पाद का 0.66 प्रतिशत हो गया है। इस तथ्य के होते हुए कि केन्द्र सरकार के व्यय का मुख्य हिस्सा भौतिक परिसम्पत्तियों के सर्जन के लिए अंतरण से संबंधित है; जैसाकि ग्रामीण सड़कें और ग्रामीण आवास, को लेखाकार वर्गीकरण की मौजूदा प्रविधि के कारण, केन्द्र सरकार के लेखे में पूंजी व्यय के रूप में प्रदर्शित नहीं किया गया है, पूंजी परिव्यय के शेयर में गिरावट बड़ी चिन्ता का विषय है।

**4. सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि**

25. वर्ष 2006-2007 के दौरान वार्षिक वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि (स्थिर 1999-2000 कीमतों पर), वर्ष 2005-2006 (त्वरित अनुमानों) के दौरान 9.0 प्रतिशत वृद्धि दर की तुलना में इसके 9.2 प्रतिशत (अग्रिम अनुमानों) के स्तर तक पहुंचने की संभावना है। संबंधित वर्षों के दौरान वर्तमान बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद की मामूली वृद्धि दर 15 प्रतिशत और 14.1 प्रतिशत है। जैसाकि वर्ष 2006-2007 के लिए वर्तमान बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2005-2006 में 35,67,177 करोड़ रुपए की तुलना में 41,00,636 करोड़ रुपए है। लगातार ऊपर उठती वृद्धि के बल पर और मुद्रास्फीति की संभावनाओं को मद्देनजर रखते हुए वित्तीय वर्ष 2007-2008 और इसके बाद के दो वर्षों के लिए सारणी-क में दर्शाया गया राजकोषीय संकेतक की गणना के प्रयोजनार्थ (वर्तमान बाजार मूल्यों पर) वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 13 प्रतिशत की रेखीय प्रवृत्ति पर मानी गई है। इस प्रकार से वर्ष 2007-2008 (वर्तमान बाजार मूल्यों पर) के लिए सकल घरेलू उत्पाद 46,33,719 करोड़ रुपए निर्धारित है।

**(ग) निम्नलिखित से संबंधित निर्वहनीयता का मूल्यांकन****(i) राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के बीच संतुलन**

26. राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि राजस्व व्यय में वृद्धि से अधिक हो रही है। वर्ष 2007-2008 के बजट अनुमान में राजस्व प्राप्तियों और व्यय के बीच संतुलन में सुधार बजट अनुमान 2006-2007 की

तुलना में राजस्व प्राप्ति में 20.5 प्रतिशत की वृद्धि और साथ-साथ राजस्व व्यय में 14.3 प्रतिशत वृद्धि नियंत्रित करने के परिणामस्वरूप हुआ। जैसा कि बजट अनुमान 2006-2007 में सकल घरेलू उत्पाद में 2.1 प्रतिशत से गिरकर बजट अनुमान 2007-2008 में सकल घरेलू उत्पाद में 1.5 प्रतिशत का राजस्व घाटा होने का अनुमान है। कर राजस्व और एन टी आर दोनों ने ही राजस्व प्राप्तियों में 82,957 करोड़ रुपए की वृद्धि की। कर राजस्व प्राप्तियों (केंद्र को निवल) में यह वृद्धि 67,667 करोड़ रुपए हुई है जबकि एन टी आर में 6,290 करोड़ रुपए तक की वृद्धि होने की आशा है। कर प्राप्तियों में इस प्रकार की वृद्धि कर-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात में हुई ऊर्ध्वमुखी घटबढ़ से प्रतिबिम्बित होती है जो ब.अ. 2006-07 में 11.2 प्रतिशत के मुकाबले ब.आ. 2007-08 में 11.8 प्रतिशत पर बनी हुई है। कर प्राप्तियों में सुधार का कारण उत्प्लावक अर्थव्यवस्था और कर प्रशासन में संस्थागत सुधारों का संयुक्त प्रभाव रहा है। निवेश के लिए वातावरण सुधारने, उत्पादकता में सहायता करने और अर्थव्यवस्था के और अधिक क्षेत्रों को प्रतिस्पर्धा के लिए खोलने की एक सुसंगत नीति अपनाने के परिणामस्वरूप विनिर्माण और सेवा क्षेत्र उत्तरोत्तर आर्थिक विकास को प्रभावित कर रहे हैं और राजकोषीय संसाधनों में योगदान कर रहे हैं। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए खाद्य प्रसंस्करण के संयोजन में कृषि क्षेत्र विकास और रोजगार के लिए नए अवसरों की पेशकश का वायदा करते हुए बहुसंख्यक भारतीयों को आजीविका सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बना हुआ है। बृहद आर्थिक वातावरण को प्रोत्साहित करने वाले प्रभाव के अतिरिक्त, कराधान को व्यापक बनाने, सेवा कर तंत्र का विस्तार करने, छूटों को युक्तिसंगत बनाने, बचाव के रास्तों को बंद करने जैसे उपाय कर संग्रहणों को बढ़ाने में योगदान कर रहे हैं। कर दाता सहयोगी पारदर्शी प्रणाली के साथ-साथ राजस्व को इष्टतम बनाने वाली नीति कर वसूलियों में उत्प्लावकता को बनाए रखने के लिए निर्णायक है। कवरेज को व्यापक बनाकर कराधार को बढ़ाने के लिए विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है ताकि कवर न हुए/कम स्तर पर कवर हुए क्षेत्रों से हिस्से में वृद्धि हो और साथ ही कमजोर तबकों के हितों में भी संतुलन बना रहे। कर-भिन्न राजस्व की दिशा में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्तियों की पूर्ण संभावनाओं को उगाहने में तेजी लाने की आवश्यकता होगी और साथ में पैकेज की पुनर्संरचना/पुनरुद्धार के लाभभोगियों को इसमें मिलाना होगा। सरकारी राजस्व को अधिकतम बनाने के विविध उद्देश्यों, क्षेत्रक विकास के लिए निवेशों में तेजी लाने और उपभोक्ता अधिशेष का इष्टतम उपयोग करने के बीच संतुलन बनाए रखने में अवरोधों को दूर करने जैसे उपाय 'एक्स्ट्रैक्टिव' उद्योगों और 'स्पेक्ट्रम' जैसे अन्य संसाधनों के संबंध में अधिकारों के आबंटन के लिए शुल्क/प्रभारों सहित सरकारी माल और सेवाओं पर प्रयोक्ता प्रभारों को युक्तिसंगत बनाने के प्रयास अति महत्वपूर्ण रहे हैं।

27. एक ओर आधिक्य राजस्व प्राप्तियों के अनुलाभों और दूसरी ओर राजस्व व्यय में सामान्य वृद्धि ने सराहनीय राजकोषीय निष्पादन में योगदान किया है। फिर भी सब्सिडियों पर दबाव बना रहेगा और उभरती वैश्विक प्रवृत्तियों के अधीन, विशेषकर ऊर्जा कीमतों और घरेलू समस्याओं के संबंध में इन पर निगरानी रखनी होगी। आयोजना राजस्व व्यय में अधिक वृद्धि का उद्देश्य प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा करना और ग्रामीण भारत की उपयोग में न लाई गई क्षमता को मुक्त करने के लिए ग्रामीण सड़कों और विद्युतीकरण सहित सामाजिक और भौतिक आधारभूत सुविधायें प्रदान करना है। राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम के अनुरूप भारत निर्माण और आठ फ्लैगशिप कार्यक्रमों में निवेश इस संदर्भ में उल्लेखनीय है। अवधारणा एवं कार्यान्वयन के बीच आंतरिक और बाहरी अंतराल तथा कार्यान्वयन एवं अंतिम परिणामों के बीच अंतराल के कारण इन व्ययों का प्रभाव मध्यावधि में प्रदर्शित होगा।

28. जहां तक पूंजीगत व्यय का प्रश्न है राज्य सरकारें/संघ शासित क्षेत्रों को ऋण मध्यस्थहीनता के कारण उत्पन्न राजकोषीय अंतराल का उपयोग अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता बढ़ाने और उनसे समन रूप लाभ प्राप्त करने की आवश्यकता है। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रम (सी.पी.एस.यू) भी अपने पूंजी व्यय के एक बड़े हिस्से की पूर्ति आंतरिक और बजट बाह्य संसाधनों (आईईबीआर) के माध्यम से करते आ रहे हैं। सीपीएसयू का आईईबीआर बजट अनुमान 2006-07 में 1,22,757 करोड़ रुपए से 34.5 प्रतिशत बढ़कर बजट अनुमान 2007-08 में 1,65,053 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

(ii) उत्पादक परिसंपत्तियों के सृजन के लिये बाजार उधारों सहित पूंजी प्राप्तियों का उपयोग।

29. बजट अनुमान 2007-08 में कुल आयोजना व्यय, जिसे सामान्यतः 2,05,100 करोड़ रुपए के विकासात्मक व्यय के रूप में रखा गया है, अनुमानित 1,50,948 करोड़ रुपए के राजकोषीय घाटे का लगभग 135.0 प्रतिशत है। यह आयोजना व्यय की स्वस्थ प्रवृत्ति की पुष्टि का प्रतीक है जो आर्थिक सुधार प्रक्रिया शुरू होने से 2006-07 में प्राप्त (116.2 प्रतिशत) राजकोषीय घाटे से दूसरी बार अधिक हुआ है। फिर भी विकासात्मक व्यय को बड़े हिस्से की पूर्ति हेतु ऋण वित्तपोषण पर निर्भरता मध्यावधि में भी जारी रहने की आशा है। ऐसे ऋण को उगाहने की पद्धतियों, ऋण बाजारों को मजबूत और व्यापक बनाने जैसे तरीकों पर अधिक जोर दिए जाने की आवश्यकता है जिससे निजी निवेशों पर निर्भरता को न्यूनतम किया जा सके ताकि व्यापक स्तर पर चिरस्थायी आर्थिक विकास को प्राप्त किया जा सके जबकि इसके साथ-साथ सरकार अपने व्ययों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संसाधन जुटाने में समर्थ हो सके।

30. एफ आर बी एम ए से पूर्व की अवधि से तुलना करने पर राजकोषीय समेकन की प्रक्रिया ने सराहनीय परिणाम दिखाए हैं। राजस्व और राजकोषीय घाटा वर्ष 2002-2003 में क्रमशः 4.4 प्रतिशत और 5.9 प्रतिशत के ऊंचे स्तर से गिरकर सं.अ. 2006-07 में क्रमशः 2.0 प्रतिशत और 3.7 प्रतिशत के स्तर पर रह गया है। पहली बार राजकोषीय सुधार की प्रक्रिया में ब.अ. 2007-08 में प्राथमिक अधिशेष सकल घरेलू उत्पाद का 0.2 प्रतिशत होगा।

31. वर्षान्त एफ आर बी एम लक्ष्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से आगे किए जाने वाले कार्य वास्तव में अत्यन्त चुनौती भरे हैं, जिसमें विशेषरूप से राजस्व घाटे को समाप्त करना है। इस संबंध में किए जाने वाले प्रयास उच्च विकास पथ की पृष्ठभूमि में राजस्वों में अनवरत उत्प्लावकता बनाए रखते हुए सुसाध्य होने की आशा है। समुन्नत नकदी प्रबंधन, गैर-विकासकारी व्ययों में कटौती, नवप्रवर्तक निवेश वित्तपोषण लागू करना, आर्थिक सहायताओं के लक्ष्यों का बेहतर बनाकर, सामाजिक और आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ बनाने हेतु निवेश के वांछित स्तर के लिए समुचित व्यवस्था करने जैसे उपाय राजकोषीय समेकन से मिलने वाले बाह्य कारक लाभों को अधिकतम दिलाने में अभिन्न रूप से जुड़े रहेंगे।